(ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों या नामंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और ऋण मंजूर करने में लगे समय संबंधी बैंकिंग प्रणाली की जिला-वार सूचना एकत्र नहीं की जाती है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निदेशों के अनुसार 25,000 रुपये से कम ऋण सीमा वाले आवेदनों को 15 दिनों के अन्दर और 25,000 रुपये से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाया जाना होता है । ऋणों की मंजूरी और उसके संवितरण में हुई देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की बैंकों द्वारा जांच की जाती है । ताकि उन पर उपचारी कार्रवाई की जा सके ।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निवेशकों को प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना

*8. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की पिछली योजनाओं के निवेशकों की प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निवेशकों को ये प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सितम्बर, 1992 तक 34-स्कीमें परिचलन में हैं और पूर्व क्लोज्ड एंड स्कीमों, जैसे कि, मास्टर इक्विटी प्लान, जी०एम०आई०एस०-92 (1), जी०एम०आई०एस०-92(2), डी० आई०यू०एस०-92 के प्रमाणपत्रों को पूर्णतया समय पर प्रेषित कर दिया गया था । तथापि, यह बताया गया है कि 1991 में आरम्भ की गयी 9 दिसम्बर '91 से 31 दिसम्बर 1991 तक की मास्टर शेयर प्लस-91 और 1992 में आरम्भ की गयी 20 अप्रैल, 1992 से 18 मई, 1992 तक की मास्टर-गेन 1992 नामक दो स्कीमों के संबंध में प्रमाण-पत्रों के भेजने में विलम्ब हुआ है । मास्टर शेयर प्लस के संबंध में प्रमाण-पत्रों का प्रेषण मार्च, 1992 से आरम्भ किया गया और जून तक पूरा किया गया जबकि इनके प्रेषण के समापन की तारीख 31 मार्च, 1992 थी । मास्टर गेन-92 के संबंध में प्रेषण-कार्य सितम्बर, 1992 से आरंभ हुआ और इसे 30 सितम्बर, 1992 तक पूरा किया जाना था । परन्तु मास्टर गेन-92 के अंतर्गत प्राप्त 62.4 लाख आवेदन-पत्रों में से आज तक 61.2 लाख प्रमाण-पत्रों को भेजा जा चुका है ।

(ख) निवेशकों को प्रमाण-पत्र जारी करने में विलम्ब हुआ है क्योंकि अनेक आवेदन-पत्रों को अपूर्ण पाया गया और संग्राहक बैंकों ने इन आवेदन-पत्रों को उपयुक्त समायोजन किए बिना काफी विलम्ब से भेजा था । आवेदन-पत्रों की बड़ी संख्या के कारण प्रमाण-पत्रों के संसाधन और प्रेषण को चरणबद्ध करना पड़ा और इसके फलस्वरूप, सभी यूनिट धारकों को तीन माप की निर्धारित सामान्य अवधि के भीतर प्रमाण-पत्र प्रेषित करना संभव नहीं हो पाया है विलम्ब एक समान लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि प्रेषण को समस्त अवधि के दौरान प्रमाण-पत्रों को लाटों में सप्ताहों के अथवा उससे भी कम अवधि के अंतरालों में जारी किया गया था ।

(ग) आशा की जाती है कि शेष प्रमाण-पत्रों को फरवरी, 1993 तक प्रेषित कर दिया जाएगा । खुली (ओपन एंड) स्कीम के मामले में, प्रमाण-पत्रों के वर्ष-भर प्रेषित किया जाता रहा क्योंकि ये स्कीमें अभिदान के लिए वर्षभर खुली रहती हैं ।